सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-225/2022 दिनांक- 15-जुलाई-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- सिधारी

82 सीआरपीसी की नोटिस

आज दिनांक 15.07.2022 को मु0अ0सं0-04/22 धारा 47/148/149/307/382/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त देवदत्त गौड़ पुत्र श्यामप्यारे गौड़ निवासी बहास्थान/हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध मा0न्यायालय से मुकदमा उपरोक्त में जारी 82 सीआरपीसी के प्रासेस का तामीला विवेचक उ0नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराहियान द्वारा नियमानुसार अभियुक्त के बड़े भाई विजय कुमार गौड़ एवं अभियुक्त की भाभी श्रीमती पूजा देवी की उपस्थिति में अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार के सदृश्य स्थान पर चस्पा करके किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी आदि की कार्यवाही करायी गयी एवं 82 सीआरपीसी के प्रासेस की प्रति रोड़वेज बस स्टैण्ड एवं जनपद न्यायालय के मुख्य द्वार व रेलवे स्टेशन स्टेशन के मुख्य मार्ग पर नियमानुसार चस्पा किया गया।

थाना- महराजगंज

गैंगेस्टर एक्ट में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)–अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर अवैध अपमिश्रित देशी शराब व सरकारी ठेके वाली देशी शराब बेचना व सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त करना तथा इनके भय व दहशत से किसी भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही न देना।
थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा दिनांक 15/07/2022 को मु0अ0सं0 252/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामदुलारे उर्फ दुलारे यादव पुत्र गंगा यादव सा0 शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.40 बजे सुबह अभियुक्त के घर ग्राम शिवपुर से बजाफ्ता बकायदा हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 252/2022 धारा 3(1) युपी गैगेस्टर एक्ट थाना महराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. रामदुलारे उर्फ दुलारे यादव

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	626/11	147, 308, 323, 324, 452, 504, 506 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, SC/ST Act	महराजगंज	आजमगढ़
2	115/21	272,273,188 IPC व 60 आबकारी अधिनियम	महराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रामदुलारे उर्फ दुलारे यादव पुत्र गंगा यादव सा0 शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह हे0का0 परमात्मा नन्द यादव का0 रवीन्द्र यादव का0 विनय प्रसाद म0आ0 रागिनी सिंह ।

थाना- बरदह

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण - दि0 -06.07.22 को वादिनी थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादिनी की पोती उम्र 16 वर्ष को 1- मुकेश कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम महुजानेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा बहलाफुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 226/22 धारा 363/366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया एवं विवेचना उ0नि0 श्री विपिन सिह द्वारा सम्पादित की जा रही था विवेचना के क्रम मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई ।

2- गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 15.07.22 को उ0नि0 विपिन सिह मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश को जिवली मोड़ पास से समय 10.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 226/22 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- मुकेश पुत्र राजेश निवासी महुजा नेवादा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष तथा हाल पता दयाबस्ती आरपीएफ लाइन झुग्गी नम्बर सी-321 थाना सराय रोहिल्ला पुरानी दिल्ली

पुलिस टीम-

विपिन सिह (उ0नि0) रघुविन्द सिह (आरक्षी थाना बरदह जनपद आजमगढ